जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
73/20

No. 13

अपील सूचना अधि. सं0 73/2016 अनवानी श्री टेकचंद पुत्र श्री डूंगरराम मोची, पुराना बिजली बोर्ड के सामने तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर बनाम उपजिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़

25.10.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री टेकचंद उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला मजि0, अनूपगढ़ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री टेकचंद ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 01.03.2016 के द्वारा उपजिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

> आनन्द मैरिज पैलेस के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 133 के तहत क्या कार्यवाही की गई है या क्या कार्यवाही चल रही है। इसकी मूल पत्रावली की सूचना दी जाये। इस्तकासा व मूल कार्यवाही की नकल दी जाये।

उक्त सूचनांओ के संबंध में उपजिला कलक्टर, अनूपगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या सू.अधि./16/1691 दिनांक 17.05.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी टेकचंद का आरटीआई प्रा0 पत्र दिनांक 18.04.16 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसका प्रतिउत्तर पत्र क्रमांक सू.अधि./1565 दिनांक 04.05.16 को भिजवा दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उसे उपलब्ध करवा दी गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ ने पत्र सं0 सू.अधि./16/1565 दिनांक 04.05..16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंगिक आरटीआई आवेदन पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आनन्द मैरिज पैलेसके खिलाफ धारा 133 सीआरपीसी के तहत जेरकार प्रकरण में मूल पत्रावली, इस्तगासा व मूल पत्रावली में की गई कार्यवाही की नकल चाही गई थी आप द्वारा वांछित सूचना पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवाई जा रही है।

उपजिला कलक्टर, अनूपगढ के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 18.04.16 को प्राप्त हुआ है जिसमें अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना समय अवधि में उनके द्वारा दिनांक 04.05.2016 को भिजवा दी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपजिला कलक्टर अनूपगढ़ द्वारा समय अवधि में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला मजि0, अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। 1874-75 / 3-11-16

आदेश आज दिनांक 25.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर